

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

## निविदा



## 2021 - 22

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा, के  
केम्पस में स्थित शॉप किराये पर देने हेतु आवेदन फार्म  
वर्ष 2021-22

### ऑनलाईन- निविदा फार्म

निविदा मूल्य- . 1000 / -

(रूपये एक हजार मात्र)

# ONLINE TENDER SCHEDULE

ई- निविदा विज्ञप्ति क्रं.09/Tender/NSCGMC/2021-22

S. NO.	SCHEDULE	Critical Dates
1.	निविदा क्रय करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	16/03/2022 Time 10:00 Am
2.	प्री - बिडमीटिंग	24/03/2022 Time 12:00 Pm
3.	निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	16/03/2022 Time 11:00Am
4.	निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	04/04/2022 Time 6:00 Pm
5.	ऑनलाईन निविदा प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	05/04/2022 Time 6:00 Pm
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान (टेंडर टेक्रीकल बिड)	07/04/2022 Time 10:00 Am
7.	धरोहर राशि केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करें	50000 /--

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देश :-

1. निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करें एवं Technical Documents Offline माध्यम से दिनांक 05/04/2022 तक नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में जमा करें।
2. धरोहर राशि (EMD)रूपये 50000 /-- (DD/FDR) के रूप में ऑनलाईन प्रस्तुत करें।

## नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,खण्डवा

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के अतर्गत आने वाले न.कु.सि.चौ.शा.चि.म. की शॉप के ठेके की शर्तें एवं नियमावली:-

**(A)** पात्रता और अर्हता मापदण्ड अनुभव विगत कार्य निष्पादन, तकनीकी क्षमता आदि।

1. ठेकेदार को शॉप चलाने हेतु न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव किसी प्रतिष्ठित संस्था/शैक्षणिक संस्था/सार्वजनिक/शासकीय संस्थान स्थल पर इस प्रकार के कार्य संचालन का होना चाहिए। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. न्यूनतम आवेदनकार ठेकेदार को शॉप चलाने हेतु आवश्यक लाइसेंस/नगर निगम द्वारा जारी गुमास्ता शॉप आवंटन की तिथि से एक माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. ठेकेदार व उनके कर्मचारियों का व्यवहार एवं आचरण शालीनता पूर्ण होना चाहिये कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं आवे।
4. जी.एस.टी.नम्बर एवं पेन नम्बर अनिवार्य।

**(B)** आवेदनक प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि।

1. आवेदन प्रपत्र का मूल्य 1,000/- निर्धारित है यह प्रपत्र ऑनलाईन माध्यम से नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. ठेकेदार को ई-टेंडरिंग के माध्यम से शॉप आवंटीत होने के पश्चात् सुरक्षा धनराशी रूपये 10,00,00 की राशी अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के नाम FDR(Fixed Deposit) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की हो, जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो, प्रस्तुत करनी होगी।
3. ठेका स्वीकृत होने पर संबंधित को छः माह का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
4. यदि ठेकेदार एक वर्ष के पूर्व स्वेच्छा से शॉप का कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।

**(C) आवेदन प्रस्ताव दरें एवं न्यूनतम दर प्रदायकर्ता का निर्धारण।**

3. समस्त इच्छुक आवेदनकर्ता को अपना प्रस्ताव आवेदन ऑनलाईन माध्यम एवं **Technical Documents Offline** माध्यम से दिनांक 05/04/2022 तक नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में जमा करना होगा।

1. एवं से ही देना होगा। आवेदन के समस्त पृष्ठों एवं संलग्नों पर हस्ताक्षर करना होगा।
2. यदि दो या दो से अधिक आवेदनकर्ताओं के अनुदान प्रस्ताव समाप्त है तो ऐसी स्थिति में कार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता के आधार पर कार्य का आवंटन किया जावेगा इस संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। जो की आपको मान्य करना होगा।
3. शॉप का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि शॉप संचालक को संचालन हेतु दिया जावेगा, अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। निम्नलिखित शॉप की मासिक अनुदान राशि आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त स्थानो का न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो की निम्नानुसार है:-

क्रमांक	शॉप का नाम	शॉप का स्थान	शॉप का क्षेत्रफल	न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा
01	जनरल स्टोर	न.कु.सि.चौ.शा. चि.म.खण्डवा	1180 वर्गफीट(106.65 वर्ग मीटर)	17000/-	

4. BOQ में शॉप आवंटीत करने हेतु सबसे अधिकतम दर अंकित करने वाले निविदाकर्ता को H-1 अंकित कर निविदा का चयन किया जायेगा। एवं ऐसे H-1 निविदाकर्ता को सफल निविदाकार घोषित कर शॉप संचालन का ऑर्डर प्रेषित किया जायेगा। जिसमें अधिष्ठाता का निर्णय सर्वोपरि होगा।
5. रिस्पॉन्सिव दर प्रदायकर्ता का आशय यह है कि वह संस्थान द्वारा जारी समस्त आर्हताओं आदि को पूर्ण करता है एवं उसने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि आदि जमा कर निर्धारित समय में अपना प्रस्ताव आवश्यक संलग्नों सहित प्रस्तुत किया है।

**(D) आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक व समय तथा आवेदन खोलने की दिनांक समय व स्थान।**

1. आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 05/04/2022 समय 6:00 Pm बजे तक निर्धारित है सील बन्द प्रस्ताव अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के कार्यालय में अंतिम समय तक प्राप्त होना चाहिए।

2. आवेदन इस दिन अर्थात दिनांक 07/04/2022 को ही समय 10:00 Am बजे अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के लायब्रेरी में खोली जावेगे।

3. जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं।

(E) आवेदन धरोहर राशि प्रपत्र, प्रस्ताव, दरें आदि जमा करने की प्रक्रिया।

इच्छुक आवेदनकर्ताओं को निम्नानुसार प्रस्ताव ऑनलाईन माध्यम से ई-टेण्डरिंग वेबसाइट [www.mptender.govt.in](http://www.mptender.govt.in) पर अंतिम समय तक प्रस्तुत करना होगा।

(F) प्रस्ताव निम्नानुसार ऑनलाईन माध्यम एवं ऑफलाईन माध्यम से नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को दिनांक 06/04/2022 सायं 5:00 P.M. से पहले पहुंचाना आवश्यक है।

➤ **Technical Bid** में निम्नानुसार रखा जावे।

1. धरोहर राशि रु 50,000/- रिसिप्ट ऑनलाईन
2. आवेदन प्रपत्र का मूल्य राशि रु.1,000/- नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (यदि वेब साइट से डाउन लोड कर आवेदन पत्र का उपयोग किया गया हो)।
3. CA द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 10 लाख का मिनिमम टर्न-ओवर (वित्तीय स्थिति) हो
4. चरित्र प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
5. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।
6. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
7. नगर निगम/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गुमास्ता /प्रमाण-पत्र /लाईसेन्स।
8. फोटोयुक्त पहचान पत्र- आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य है।
9. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
10. फर्म संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें निविदाकृत कार्य/ व्यवसाय का उल्लेख हो।
11. वित्तीय वर्ष 2017-18, 2019-20 एवं 2020-2021 (एसेसमेन्ट ईयर 18-19,19-20, एवं 20-21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
12. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ-पत्र।
13. 100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)।
14. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
15. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 10 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये विगत तीन वर्ष का )
16. वैध जीएसटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट।
17. जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।

6. **Financial Bid** में निम्नानुसार ऑनलाईन माध्यम से **BOQ** के माध्यम से वित्तीय प्रभाव का आवेदन ऑनलाईन माध्यम से **BOQ** में **Financial Bid Offline** ना भेजा जावे ये सुनिश्चित करें। **BOQ** में शॉप आवंटीत करने हेतु सबसे अधिकतम दर अंकित करने वाले निविदाकर्ता को

H-1अंकित कर निविदा का चयन किया जायेगा। एवं ऐसे H-1 निविदाकर्ता को सफल निविदाकार घोषित कर शॉप संचालन का ऑर्डर प्रेषित किया जायेगा। जिसमें अधिष्ठाता का निर्णय सर्वोपरि होगा।

## शॉप हेतु नियम एवं आवश्यक शर्तें

1. नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा शॉप का ठेका आपके अधिपत्य दिनांक से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिये हैं।
2. पाँच वर्ष उपरान्त दोनों पक्षों की सहमति पर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इन्हीं शर्तों पर या संशोधित शर्तों पर आगामी अधिकतम एक वर्ष के लिए एवं इसी प्रकार आगे अधिकतम पाँच वर्ष की समयावृद्धि की जा सकेगी।
3. प्रति वर्ष अनुदान राशि में नियत 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावेगी तथा पानी व बिजली बिल पृथक से देय होगा।
4. ठेका मंजूर होने के दिवस से एक माह के भीतर, आपको कार्य शुरू करना होगा अन्यथा कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।
5. ठेका स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा। इसका सम्पूर्ण व्यय सफल आवेदनकार को ही वहन करना होगा।
6. ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को शॉप भवन चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा ठेका समाप्ति पर तुरन्त ठेकेदार को अपना निजी सामान शॉप से हटाकर शॉप का चार्ज सात दिवस के अन्दर समिति संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में 3000/-रु. प्रतिदिन का अर्थदण्ड तो लिया ही जावेगा/वसूल किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी।
7. शर्तों के साथ निम्नांकित वचन पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) आवेदनकर्ता को देना होगा:  
(अ) आवेदनकर्ता शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेकलिस्टेड घोषित न किया गया हो।  
(ब) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदन प्रपत्र एवं आवेदन की शर्तें पूर्णतः पढ़ ली हैं तथा मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं (आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर नाम, पता एवं फोन नं. के साथ होना आवश्यक है।)  
अधिष्ठाता / शॉप समिति के सदस्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा किस भी प्रकार की अनियमिता पाये जाने अथवा आवेदन की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने हुए पाये जाने पर प्रत्येक आवसर पर 1000 रु. का दण्ड देना होगा।
8. तीन निरीक्षणों में यदि शॉप में किसी प्रकार की अनियमिता पाई गई को तत्काल प्रभाव से तीन माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।
9. शॉप भवन तथा अन्य स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना अधिष्ठाता नंदकुमार चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा तथा शॉप भवन को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति ठेकेदार जमा सुरक्षा निधि से की जायेगी।


10. शॉप में बिड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विक्रय नहीं किया जावेगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर शॉप में उपयोग करने के लिये अनुमति नहीं देगा। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ पाये जाने पर 1,000 रु. का आर्थिक दण्ड देना होगा एवं भारतीय वैधानिक कानून के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मादक पदार्थ के प्रतिबंध के साइन बोर्ड लगाने होंगे।
11. शॉप समय से पूर्व या कार्य दिवस पर बन्द होने की अवस्था में यथा संभव तीन दिन पूर्व सूचना अधिष्ठाता को लिखित रूप में देने होगी।
12. शॉप का छः माह का अग्रिम अनुदान राशि कार्य आवंटित होने के एक सप्ताह के भीतर लेखाशाखा नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में जमा कराना होगा। तदुपरांत प्रतिमाह की प्रथम तारीख को /अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस संस्था की लेखा शाखा में प्रत्येक माह का किराया जमा कराना होगा। अनुदान राशि विलम्ब होने पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन के मान से शुल्क जमा करना होगा।
13. शॉप संचालक को बिजली के उपयोग के लिये MPPKVEL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर लगवाना होगा। जिसका बिल ठेकेदार को नियमित रूप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा एवं इलेक्ट्रीक शुल्क वर्तमान MPPKVL की व्यवसायिक दर से देय होगा। MPP द्वारा दरे वृद्धि करने पर तदनुसार वृद्धि की जावेगी।
14. शॉप में एक सुझाव/शिकायत पेटी लगाई जावेगी जिसे महाविद्यालय की शॉप समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिमाह खोला जावेगा एवं अधिष्ठाता की अनुमति के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।
15. किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ठेका स्वीकृत करने अथवा न करने अथवा मध्यावधि में ही बिना किसी कारण बताये ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को रहेगा।
16. ठेकेदार को शॉप स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा।
17. संस्थान द्वारा जारी शर्तों के अतिरिक्त, ठेकेदार की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
18. शॉप में किसी भी प्रकार का उपद्रव, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा। शॉप में अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा।
19. शॉप तथा उससे संबंधित उपयोग में आने वाले स्थान की साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी। इसका समस्त व्यय उसे करना होगा। नगर-निगम व शासन की वाली कार्यवाही का जवाबदार शॉप संचालक स्वयं रहेगा।
20. शॉप में जो कर्मचारी रखे जावें उनकी सूची फोटो, पते एवं फोन न आदि अधिष्ठाता कार्यालय में समय-समय पर देना होंगे, बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेंगे तथा सभी का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

21. ठेकेदार एवं शॉप में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जवाबदार होगा।
22. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को उपरोक्त शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।
23. शॉप ठेके अनुशासन या विवाद आदि में अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार को बंधनकारक होगा।
24. इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा का होगा व उनका निर्णय अंतिम होगा।
25. संस्थान को किसी भी प्रकार की बकाया राशि, जमा की गई सुरक्षा धन राशि में से वसूल की जावेगी।
26. किसी भी प्रकार की न्यायलयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र खण्डवा रहेगा।
27. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को कोई भी आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
28. आवेदनकर्ता के आवेदन प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा आवेदन स्पष्ट होना चाहिए। काट-छाट नहीं होना चाहिए। अपूर्ण अस्वीकृत की जावेगी।
29. केवल परिसर के रहने वाले व्यक्ति हेतु उपयोग के लिए मान्य होगा।
30. परिसर में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहेगा।
31. कर्मचारियों की आई.डी एवं उनकी संख्या निर्धारित रहेगी।
32. कर्मचारी अपने रिश्तेदार, मित्र आदि का कॉलेज परिसर में आना प्रतिबंधित रहेगा।
33. निविदा स्वीकृति एवं कार्य आदेश जारी करने के पश्चात अधिकतम 15 दिवस के अंदर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
34. अनुबंध करने के उपरान्त अधिकतम 01 वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य है, अगर बीच में कार्य छोड़ जाता है तो 03 वर्षों के लिये संस्था की काली सूची में डाल दिया जावेगा एवं जमा राशि राजसात कर ली जावेगी।
35. निविदाकार फर्म से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता शासकीय मेडिकल कॉलेज का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
36. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।
37. निविदादाता द्वारा दी गई जानकारी असत्य, संलग्न फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
38. निविदादाता फर्म अथवा उसके संचालक को न तो किसी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो और न ही फर्म अथवा संचालक के विरुद्ध किसी भी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में संबंधित प्रकरण प्रचलन में हों।
39. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को कोई भी निविदा किसी भी समय स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।

40. समस्त प्रक्रिया में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।
41. लायसेंस मनी/किराया प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा। किराया चैक/डी डी अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के पक्ष में जमा करना होगा। किराया समय वा जमा नहीं करने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी एवं पेनल्टी लगाई जावेगी।
42. समय-समय पर शासन के द्वारा जारी समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
43. दुकान संचालन का समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
44. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण निरस्त करने का समस्त अधिकार अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा,के पास सुरक्षित रहेंगे जिसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
45. निविदाकार जहाँ कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि श्रम अधिनियमों एवं आयकर अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन व उनके अंतर्गत वर्णित नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में किसी वाद-विवाद में अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा, कार्यालय खण्डवा द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अंतर्गत निविदाकार के किसी दायित्व का भुगतान यदि कार्यालय को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली निविदाकार से की जावेगी।
46. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
47. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
48. निविदा प्रपत्र में प्रत्येक कॉट-छॉट पर निविदाकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
49. निविदा स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त निविदा कार्यवाही को निरस्त करने अंतिम अधिकार अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा को होगा।
50. निविदायें उनके खुले जाने एवं पात्र निविदाकर्ता के द्वारा अनुबंध किये जाने की तारीख से 02 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। सेवा एवं कार्य संतोषजनक होने पर अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के आदेश अनुसार अविध आगे बढ़ाई जा सकती है। अनुबंध की अवधि बढ़ाने के लिए अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा बाध्य नहीं होंगे एवं सेवा असंतोषप्रद होने पर या अनियमितता पाए जाने पर अनुबंध किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।
51. निविदाकर्ता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस निविदा की समस्त शर्तों/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर समझ कर समस्त शर्तें विवरण स्वीकार कर हस्ताक्षर किये हैं।
52. अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदाकर्ता ने निविदा दी है उन सब के लिए या किसी एक फर्म /प्रदायकर्ता से अधिक की सेवा की दरों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।



53. करार व प्रतिभूति निक्षेप सफल निविदाकर्ता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार करार/अनुबंध पत्र रूपये 1000/-के हजार रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित करना होगा। जिस पर होने वाले व्यय का भुगतान स्वयं निविदाकर्ता को करना होगा।
54. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना/धरोहर राशि को प्रतिभूति की राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
55. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा, इस संबंध में अधिष्ठाता नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा का निर्णय अंतिम होगा।
56. निविदाकर्ता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि भागीदारी फर्म है तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
  - एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर एवं सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट, कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  - नगर निगम खण्डवा या अन्य सक्षम अधिकारी/सरकारी कार्यालय/संस्था द्वारा जारी लाईसेंस की वैध प्रति। जहा लागू हो वहाँ।
57. निविदाकर्ता दर संविदा को किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।
58. निविदाकर्ता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराने एक प्रकार की अनियमितता होगी।
59. यदि निविदा के संबंध में नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा निविदा को पास कराये जाने सम्बंध में कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अद्योहस्ताक्षरकर्ता को ध्यान में लाना निविदाकर्ता का दायित्व होगा।
60. सभी कर्मचारियों को बैंक में खाता खुलवाना होगा और ई-पेमेंट द्वारा मजदूरी राशि अंतरिम करनी होगी।
61. कार्यालय द्वारा निर्धारित सामग्री एवं कार्य की दरें परिसर के अंदर ओर बाहर सर्वसुलभ स्थान पर चस्प कराना होगा।
62. सभी कर्मचारी यूनिफार्म में रहेंगे।

  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म.

Nandkumar Singh Chouhan  
खण्डवा (म.प्र.)  
Government Medical College  
KHANDWA (M.P.)

मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है मैंने नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा शॉप ठेके के संबंध में जारी समस्त शर्तें अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली है, जो मुझे मान्य है।

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा

प्रपत्र- अ

धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)

1. संस्था का नाम जिसमें शॉप हेतु आवेदन किया गया.....
2. राशि रू.....
3. एफ.डी.आर.(3 वर्ष) की अवधि (केवल राष्ट्रीयकृत बैंक).....
4. जारी होने का दिनांक.....
5. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम/पता.....
6. भुगतान का स्थान.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:—.....

नाम एवं पूर्ण पता:— .....

संस्थान का नाम:—.....

संस्था का सील:—.....

दिनांक:—.....

# नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा

## प्रपत्र-ब

संस्था का नाम जिसमें शॉप हेतु आवेदन किया गया.....

➤ लिफाफा :- B- में निम्नानुसार रखा जावे।

1. किन्ही दो संस्थानों को फूड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो। X
2. C.A. द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 10 लाख का मिनिमम टर्न-ओवर (वित्तीय स्थिति) हो
3. चरित्र प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित )।
4. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।
5. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कियस हुआ हो।
6. निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र/लाईसेंस/गुमास्ता की प्रतिलिपि।
7. फोटोयुक्त पहचान पत्र:- आधार कार्ड, या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य है।
8. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
9. फर्म संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें निविदाकृत कार्य/ व्यवसाय का उल्लेख हो।
10. वित्तीय वर्ष 2017/18,2019-20 एवं 2020-2021 (एसेसमेन्ट ईयर 18-19,19-20, एवं 20-21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
17. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ-पत्र।
18. 100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)।
19. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
20. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। 10 लाख . वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये विगत तीन वर्ष का )
21. वैध जीएसटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट।
22. जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म.

**Principal & CEO**  
Nandkumar Singh Chouhan  
Government Medical College  
खण्डवा (म.प्र.)  
KHANDWA (M.P.)

## तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र :- स

स क्र	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे।		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे।	
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार ) ऑनलाईन जमा करें।				
2.	आवेदन प्रपत्र का मूल्य राशि 1000/- नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (यदि वेब साईट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र का उपयोग किया गया हो)।				
3.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
4.	CA द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न-ऑवर (वित्तीय स्थिति) हो				
5.	चरित्र प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।				
6.	आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)				
7.	टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हो।				
8.	फोटोयुक्त पहचान पत्र-आधार कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस अनिवार्य है।				
9.	वैध जीएसटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट/ .जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील .....